न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1847–पीबीआर/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 6–2–2012 पारित द्वारा कलेक्टर जिला गुना के प्रकरण कमांक 06/स्व.निग./2011–12

.....

1–हरिओम पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण
2–योगेश पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण
3–भगवतीबाई पत्नि श्री लक्ष्मीनारायण
निवासीगण नजूल कॉलोनी गुना तहसील व जिला गुना म0प्र0

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1–ग्यारसीबाई बेवा हल्कूराम
2–लठूर पुत्र हल्कूराम
3–किसना पुत्र हल्कूराम
4–मुन्शीलाल पुत्र हल्कूराम
5–चतरू पुत्र हल्कूराम
6–गुड्डू पुत्र हल्कूराम
सभी निवासी महुगढ़ा पो. गढ़ा,
तहसील व जिला गुना म0प्र0
7–लक्ष्मीनारायण पुत्र गोकलदास
निवासी नजूल कॉलोनी गुना तहसील
व जिला गुना म0प्र0

..... अनावेदकगण

.....

श्री रामसेवक शर्मा, अभिभाषक–आवेदकगण
श्री रजनीश शर्मा, अभिभाषक–अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 15/9/16 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत कलेक्टर जिला गुना के द्वारा पारित आदेश दिनांक 06–02–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि आवेदकगण द्वारा कलेक्टर जिला गुना के समक्ष संहिता की धारा 165(7)(ख) के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि आवेदक कमांक 1 व 2 के पिता एवं आवेदक कमांक 3 के पति श्री लक्ष्मीनारायण को ग्राम महुगढ़ा तहसील गुना स्थित भूमि सर्वे कमांक 45/1/3 रकबा 2 हेक्टेयर का बंटन कर, प्रकरण कमांक 48/अ–19/1982–83 में पारित आदेश दिनांक 25–7–1984 से पट्टा प्रदान किया गया था । उक्त भूमि में से अनावेदिका कमांक 1 के पति एवं अनावेदक कमांक 2 लगायत 6 के पिता हल्कूराम द्वारा एक हेक्टेयर भूमि बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के कय कर नामान्तरण करा लिया गया है, अतः उक्त विकय पत्र व नामान्तरण आदेश शून्य घोषित कर निरस्त किया जाये । कलेक्टर द्वारा प्रकरण कमांक 297/अ–21/06–07 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कलेक्टर द्वारा कार्यवाही के दौरान यह पाते हुये कि प्रश्नाधीन भूमि का पटटा लक्ष्मीनारायण को प्राप्त हुआ है और लक्ष्मीनारायण द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं कर उनके वारिसान के द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । प्रकरण कमांक 297/अ–21/06–07 को निरस्त कर प्रकरण स्वप्रेरणा से निगरानी में लिया जाकर प्रकरण कमांक 6/स्व0निग0/2011–12 दर्ज कर दिनांक 6–2–2012 को आदेश पारित करते हुये प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में निष्पादित विकय पत्र को शून्य घोषित किया गया एवं समस्त नामान्तरण निरस्त किये गये, साथ ही भूमि शासकीय घोषित की गई । कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से केवल यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि कि संहिता की धारा 165(7)(ख) के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी को कार्यवाही करने का अधिकार है, कलेक्टर को नहीं है । अतः कलेक्टर द्वारा क्षेत्राधिकार रहित आदेश पारित किया गया है जो कि इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से केवल यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर द्वारा दिनांक 6–2–2012 को दो भागों में आदेश पारित

किया गया है और कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रकरण कमांक 1768–दो/2014 प्रस्तुत किये जाने पर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 6–8–2015 को आदेश पारित किया जाकर कलेक्टर का आदेश दिनांक 6–2–12 निरस्त कर निगरानी स्वीकार की गई है, ऐसी स्थिति में यह निगरानी उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में निरस्त किये जाने योग्य है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा प्रस्तुत दस्तावेजों का सूक्ष्मतः से अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 6–2–2012 के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । इसी आदेश के विरूद्ध पूर्व में निगरानी प्रकरण कमांक 1768–दो/2014 प्रस्तुत की गई थी जिसमें दिनांक 6–8–2015 को अंतिम आदेश पारित किया जा चुका है । अतः उक्त आदेश इस प्रकरण में भी लागू होगा।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर